



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 माघ 1943 (श०)
(सं० पटना 62) पटना, सोमवार, 7 फरवरी 2022

नगरपालिका प्रशासन निदेशालय
(नगर विकास एवं आवास विभाग)

अधिसूचना
2 फरवरी 2022

सं० 10/न०वि०/निर्वा०-05/2021- 300—न०प्र०नि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 (9) के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगर निगम कटिहार में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 2690 दिनांक 31.08.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

2. जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 94 दिनांक 17.01.2022 द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगर निगम कटिहार में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त, कटिहार को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 2689 दिनांक 31.08.2021 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राहुल बर्मन,
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 62-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>